वित्तीय स्वीकृति

संख्या-13/2017/52-3-17-बजट(8)/2017

प्रेषक,

वैभव श्रीवास्तव,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 □□□□

सेवा में,

□□□□□,
अल्पसंख्यक कल्याण,
□0प्र0 □□□□□

अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-3, □□□□: दिनांक 15 □□, 2017

विषयः-वित्तीय वर्ष 2017-18 में 146 नये आलिया स्तर के स्थायी मान्यता प्राप्त अरबी फारसी मदरसों के शिक्षकों/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के मासिक वेतनादि के भुगतान की वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

□□□□,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं0-721/□0□0□0□□0-52/□□□/□□□-प्रा0वि0/ 2017-18, दिनांक 27.05.2017 तथा पत्र सं0-788/□0□0□0□□0-2016/□□□/□□0□□□/ 2017-18, दिनांक 01.06.2017 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्त (आय व्ययक) □□0-1 □□ कार्यालय ज्ञाप सं0-1/2017/□□-1-02/□□-2017-213/2017, दिनांक 02.01.2017 के प्रस्त -2(7) में दी गयी व्यवस्था के अनुसार 146 नये आलिया स्तर के स्थायी मान्यता प्राप्त अरबी फारसी मदरसों के शिक्षकों/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के मासिक वेतनादि के भुगतान हेतु वित्तीय वर्ष 2017-18 □□□□ स्वीकृत लेखानुदान के सापेक्ष प्रथम पांच माहों के लिए वित्तीय स्वीकृतियां जारी किये जाने हेतु राजस्व पक्ष में प्राविधानित धनराशि रू0 11856.50 लाख के अनुमानित व्यय का 5/12वां भाग रू0 4940.20 □□□ (रू0 उन्चास करोड़ चालिस लाख बीस हजार मात्र) स्वीकृत करते हुये निम्नांकित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल द्वारा सहर्ष सहमति प्रदान की जाती हैः-

(1) कोषागार से धनराशि का आहरण मासिक आवश्यकता के अनुसार किया जायेगा □□□ धनराशि को आहरित कर बैंक/डाक घर में जमा नहीं किया जायेगा।

(2) वेतन हेतु स्वीकृत धनराशि से केवल शासन द्वारा अनुमोदित पदों के वेतन आदि का ही भुगतान किया जायेगा। किसी भी दशा में उक्त धनराशि से किसी अन्य मद में पुनर्विनियोग नहीं किया जायेगा।

(3) उक्त स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष व्यय धनराशि का विवरण/उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन □□ 31 अगस्त, 2017 तक उपलब्ध कराया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(4) □□□□□ □□ □□□□ (एलाॅॅटमेन्ट मात्र) किसी प्रकार के व्यय करने का अधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त □□ □□ □□□□

(5) उक्त वित्तीय स्वीकृति इस शर्त के अधीन प्रदान की जाती है कि निदेशक/ रजिस्ट्रार द्वारा संबंधित मदरसों को अनुदान की धनराशि तभी निर्गत की जायेगी, जब वह मदरसे □□□□□□□□ में नियमो/शासनादेशों के अन्तर्गत निर्धारित व्यवस्था के अनुसार समस्त मानकों की पूर्ति संबंधी प्राविधानों के अनुपालन की स्थिति से संतुष्ट हो लेंगे।

3. उक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 □□ □□-व्ययक के अनुदान संख्या-48 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-2202-सामान्य शिक्षा-01-प्रारम्भिक शिक्षा-800-अन्य व्यय-11-146 □□□ आलिया स्तर के स्थायी मान्यता प्राप्त अरबी फारसी मदरसों को अनुदान -31-सहायता □□□□ □□□□□-सामान्य (□□□) □□□□□□□□□ □□□□□

4. यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2017/□□-1-02/ □□-2017-213/2017, दिनांक 02.01.2017 में प्रदत्त निर्देशों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

□वदीय,

(वैभव श्रीवास्तव)
विशेष सचिव

संख्या- 896 (1)/52-3-17-तददिनांक।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1-□□□□□□□□ (लेखा परीक्ष) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0, □□□□□□□□

2-□□□□□□□□ (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, □□□□□□□□

3-कोषाधिकारी, ज□□□ □□□, □□□□/वित्त एवं लेखाधिकारी, अल्पसंख्यक कल्याण □□□□□□□, □0प्र0 □□□□□

4-रजिस्ट्रार, □0प्र0 मदरसा शिक्षा परिषद, 704, □□□□ □□□, □□□□□

5-वित्त (ई-11) □□□□/वित्त (आ□-व्ययक) □□□□-1(02 प्रतियों में)/नि□□□ □□□□-3 □□□□□ □□□□/गार्ड फाईल।

6-अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-1

7- कम्प्यूटर आपरेटर, अल्पसंख्यक कल्याण अनु0-3 को अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की वेब साइड पर अपलोड करने हेतु।

आज्ञा से,

(दीना नाथ)
□□ □□□

1- □□ □□□□□ इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: □स पर हस्ताक्षर की आवश्य□□ नहीं □□

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।